

राजस्थान सरकार
राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
जयपुर

No-F() RMSC/ADMIN /2011/ 393

Date 17/10/11

समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान

दिनांक 2 अक्टूबर, 2011 से प्रारम्भ "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" के प्रभावी संपादन हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. समस्त अस्पताल प्रभारी यह भी सुनिश्चित करें कि उपलब्ध सभी दवाईयां समस्त वितरण केन्द्रों पर समान रूप से उपलब्ध हो ताकि मरीजों को अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़े।
2. इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 376 दिनांक 12.10.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पेंशनर्स व राजकीय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा एवं पुनर्भरण की व्यवस्था पूर्व की भांति लागू रहेगी।
3. समस्त अस्पताल प्रभारी भर्ती/आपातकालीन मरीजों के लिए संस्था में दवा की उपलब्धता रात्रि में भी सुनिश्चित करावें।
4. समस्त अस्पताल प्रभारी 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बजट में आवश्यक दवाईयां स्थानीय स्तर पर क्रय किया जाना सुनिश्चित करावे ताकि मरीजों को आवश्यक दवाईयां सरलता से मिल सकें।
5. हीमोफिलिया एवं थैलेसिमिया के मरीजों को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
6. समस्त अस्पताल प्रभारी स्वयं सुनिश्चित करें कि दवा वितरण केन्द्रों पर बाहर के एजेंट/अवांछित व्यक्ति आदि नहीं आये।
7. चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर उपलब्ध दवाईयों की सूची चिकित्सकों के पास उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे चिकित्सकों को दवा की उपलब्धता की जानकारी रहे तदनुसार मरीज को बता सकें कि अमुक दवाई निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर उपलब्ध है व अमुक दवाई लाईफ लाईन ड्रग स्टोर पर कम कीमत पर उपलब्ध है।
8. पूर्व में दिए गए निर्देशों में परिवर्तन करते हुए आरएमएससी बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि डबल प्रिस्क्रिपशन स्लिप आरएमएससी द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलैक्टर, राजस्थान।
9. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
10. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
13. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
15. नोडल अधिकारी (शिकायत प्रकोष्ठ) आरएमएससी।
16. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई-मेल करवायें।


प्रबंध निदेशक
आरएमएससी